रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 115] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 1972/फाल्गुन 5, 1893

No. 115] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 1972/PHALGUNA 5, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th February, 1972

S.O. 159(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Third Amendment Order, 1972.

2. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I, Part 'A' item No. 35 i.e. No 35 "Truck tyres 900 × 20 size," shall be treated as deleted.

[No. E(C)O. 1968/AM(73)]

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1972

एस० ओ० 159 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) तृतीय संशोधन आदेश, 1972 की संख्या दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में, अनुसूची 1, भाग ए' में मद संख्या 35 अर्थात् संख्या 35 "टंक 900 × 20 साइज" को निकाला गया समझा जाएगा।

[सं० ई० (मा०)ओ० 1968/ए० एम० (73)]

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972